देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरैंस संख्या –2020/IRTR/03

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 13 फरवरी 2020

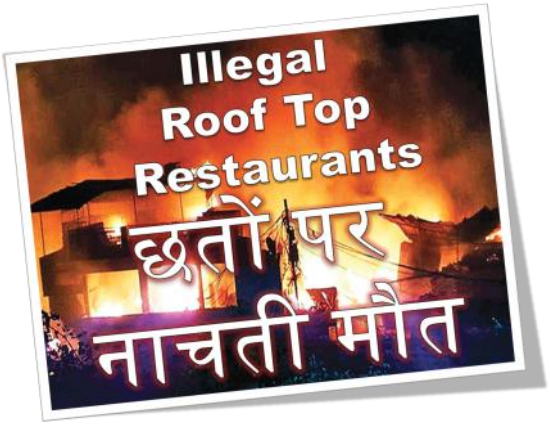

अवैध हुक्का बार संचालकों को मुख्यमंत्री का भी डर नहीं

क्यूंकि पुलिस नहीं करती कठोर कार्यवाही

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा नशे के काले कारोबार को खत्म करने के लिए ओपरेशन क्लीन स्वीप चला रखा है जिसके तहत आये दिन समाचार पत्रों में पुलिस की अवैध हुक्का बार के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही पढने में आती है,परन्तु इसके बावजूद अभी तक पुलिस की कार्यवाहियों से अवैध हुक्का बार संचालकों के मन में भय पैदा नहीं हुआ है क्यूंकि स्थानीय पुलिस भी हुक्का बार के संचालकों को नहीं पकड कर मात्र मैनेजरों और बार टेंडरों पर कार्यवाही कर इतिश्री कर लेती है जबकि होना तो यह चाहिए कि पुलिस को तुरंत नगर निगम/फ़ूड/आबकारी विभाग को लाईसेंस निरस्त करने/सील करने की कार्यवाही करने हेतु लिखना चाहिए जिससे कि इन हुक्का संचालको में कार्यवाही का डर बना रहे|समाचार पत्रों में यह तो पढने में आता है कि मौके पर सैंकड़ों की संख्या में युवक युवतियां हुक्के का सेवन कर रहे थे,परन्तु पुलिस इनको नहीं पकड कर, इनसे लेन देन करके छोड़ देती है,गौरतलब है कि पकडे जाने वाले युवक-युवतियों में कई तो नाबालिग होते है|यही कारण है कि एक ही हुक्का बार पर स्थानीय पुलिस द्वारा सैंकड़ों दफा कार्यवाही किये जाने के बावजूद यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते है|

शहर में चल रहे अवैध रूफ टॉप बीयर बार/रेस्टोरेंट्स बने अवैध हुक्का बार संचालकों के लिए शरणगाह

हमारी पूर्व रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि शहर में चल रहे अवैध रूफ टॉप बार/रेस्टोरेंट्स कई अपराधों की शरणगाह बन गए है|शहर के अधिकतर रूफ टॉप बार/रेस्टोरेंट्स में पुलिस और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे वहां आने वाले ग्राहकों की मांग पर अवैध रूप से हुक्का परोसा जाता है|जबकि करीब करीब सभी रूफ टॉप बार/रेस्टोरेंट्स के विरुद्ध कम से कम एक बार गैरकानूनी रूप से हुक्का परोसने के खिलाफ स्थानीय पुलिस कार्यवाही कर चुकी है परन्तु कठोर कार्यवाही नहीं होने की वजह से हुक्का संचालक पुनः अपनी हरकते चालू कर देते है|

नए कानून में पुलिस को हुक्का बार सील करने के अधिकार ही नही

कहने को तो राजस्थान सरकार द्वारा हुक्के पर प्रतिबन्ध लगाते हुए इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया है,राजस्थान सरकार द्वारा गत वर्ष सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन,प्रदाय और वितरण का विनियमन) राजस्थान संशोधन) विधेयक,2019 पारित किया गया है|नए संशोधन विधेयक में पुलिस को केवल हुक्का बार संचालन में प्रयुक्त सामग्रियों को जब्त करने का अधिकार है,जिनकी कीमत कुछ हजारों में होती है|साथ ही हुक्का बार संचालक को अधिकतम तीन वर्ष का कारावास और अधिकतम एक लाख रूपये के अर्थ दंड की सजा है|जबकि होना यह चाहिए था कि पुलिस को हुक्का बार की जगह को ही सील करने के अधिकार दिए जाते|

कार्रवाई के बाद भी हुक्काबार चल रहे, अब बार लाइसेंस निरस्त होगा

जयपुर। अवैध हुक्का बार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन अवैध हुक्का बार संचालकों पर कोई असर नहीं हो रहा है। मालवीय नगर इलाके में संचालित दो अवैध हुक्काबार पर एसीपी तीन-तीन बार से ज्यादा कार्रवाई कर चुके है। ऐसे में अब पुलिस ने उन हुक्का बारों में बार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए आबकारी को पत्र लिखा है। दो महीने में गिरधर मार्ग स्थित टी कनेक्ट बार पर चार बार कार्रवाई की जा चुकी है। बीटू बाईपास चौराहा दुर्गापुरा स्थित एस्टेरिया हुक्काबार पर तीन बार कार्रवाई हो चुकी है। इसी तरह से हैवंस में भी पुलिस कारवाई हो चुकी है। जवाहर सर्किल स्थित थ्रीडी हुक्का बार पर भी दो बार कार्रवाई हो चुकी है। एस्टिरिया में एक महीने में पुलिस ने दो बार दबिश देकर यहां से हुक्के, चिलम, फ्लेवर तंबाकू आदि जब्त किए हैं। रविवार को भी मालवीय नगर एसीपी महेन्द्र कुमार शर्मा ने एस्टिरिया हुक्काबार पर कारवाई की और हुक्के व अन्य सामान जब्त किए। अब इनके खिलाफ आबकारी को लिखा गया है कि बार संचालक शर्तों का उल्ल्घंन कर रहे हैं।

रेस्टोरेंट में चल रहा था हुक्का बार, लाइसेंस निरस्त के लिए निगम को दी शिकायत

जयपुर| शहर में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई की। टोंक रोड पर एसएमएस स्टेडियम के सामने स्थित स्काई फाल रेस्टोरेंट पर गांधीनगर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने दबिश देकर दो दर्जन से ज्यादा हुक्के, चिलम आदि बरामद किए है। डीसीपी राहुल जैन ने बताया कि स्काई फाल और काफका रेस्टोरेंट के लाइसेंस निरस्त करने के लिए नगर निगम को लिखा है। स्काई फाल रेस्टोरेंट में कार्रवाई के दौरान लड़के-लड़कियां हुक्के व चिलम पीते मिले। मैनेजर भरत के खिलाफ धूम्रपान अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा हुक्का पी रहे 13 लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत चालान किया गया है।

हुक्का बारों के खिलाफ पुलिस की तीन तरह की कार्यवाही

6 मामलों में लाईसेंस निरस्त करने के लिए पुलिस लिख रही आबकारी और नगर निगम को,एक मामले में संचालक के खिलाफ किया मामला दर्ज

पुलिस के पास अवैध हुक्का बार से सम्बंधित जगह को सील करने के अधिकार नही होने से वह इनके खिलाफ कोई पुख्ता कार्यवाही नहीं कर पा रही है,यही वजह है कि अब पुलिस द्वारा अग्रीम कार्यवाही हेतु इन अवैध हुक्का बार को सील करने के लिए आबकारी विभाग और नगर निगम को लिखा जा रहा है|वहीँ एक अन्य मामले में पुलिस सम्बंधित हुक्का संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है|परन्तु जब तक इन हुक्का बार को सील नहीं किया जाएगा यह अवैध गतिविधियाँ नहीं रुक पाएगी|

आबकारी और नगर निगम में अंधेरगर्दी,पुलिस के पत्र कचरे के ढेर में

आबकारी विभाग और नगर निगम में पहले से ही अंधेरगर्दी मची हुई है,उन्हें अपने रूटीन के कामों से ही फुर्सत नहीं है,ऐसे में पुलिस द्वारा उन्हें भेजे गए पत्र कचरे के ढेर की शोभा बढ़ाते नजर आते है|यह हालात तो तब है जबकि दोनों विभागों के अधिकारीयों की जिम्मेदारी है कि उनके द्वारा प्रद्दत लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा हो|लेकिन जिम्मेदारों द्वारा आँखे मूंद लेने से शहर के अधिकतर रेस्टोरेंट्स,होटल्स में अवैध रूप से खुलेआम हुक्के पिलाए जा रहे है|

मालवीय नगर थाने द्वारा इन रूफ टॉप बार/रेस्टोरेंट्स के बार-लाईसेंस निरस्त करने के लिए आबकारी विभाग को लिखा पत्र

हेवन्स

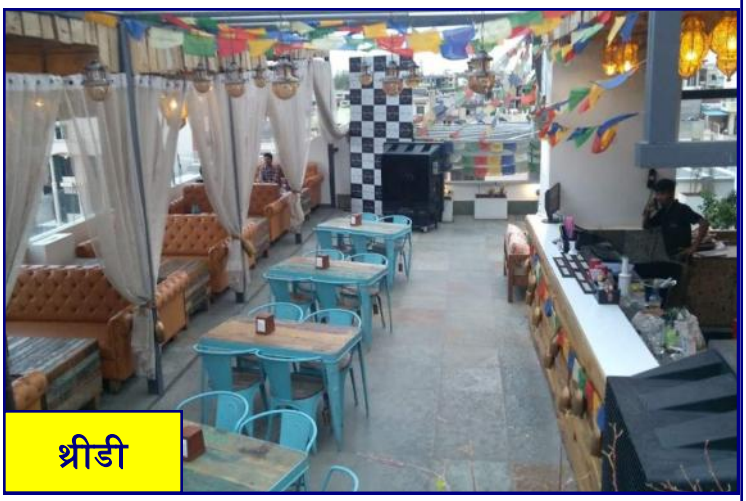

थ्रीडी

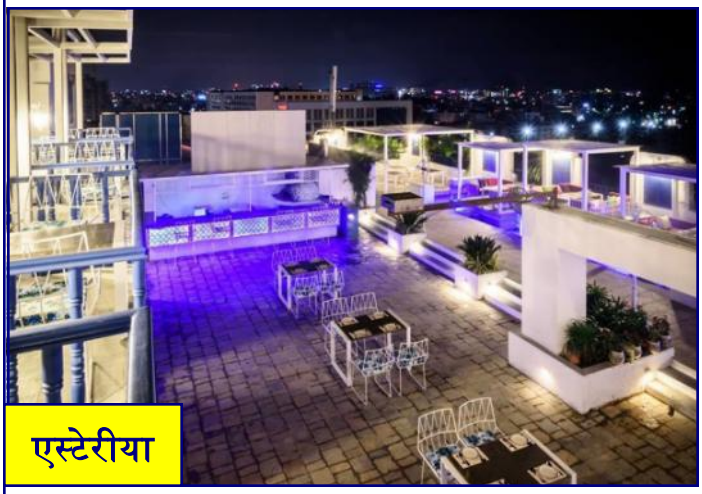

एस्टेरीया

टी-कनेक्ट

गांधीनगर थाने द्वारा इन रूफ टॉप बार/रेस्टोरेंट्स के लाईसेंस निरस्त करने के लिए नगर निगम को लिखा पत्र

काफ्का

स्काईफॉल

एसएमएस स्टेडियम के सामने पांचवी मंजिल पर है काफ्का रेस्टोरेंट

रूफटॉप रेस्टोरेंट में सिलेंडर में विस्फोट, आग का गोला बना

कर्मचारी बोले, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, बढ़ने पर भाग गए

अग्निशमन अधिकारी बोले, फायर की एनओसी नहीं थी, देंगे नोटिस

लोगों में दहशत, जनहानि नहीं हुई

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. टोंक रोड पर एसएमएस स्टेडियम के सामने पांचवी मंजिल पर बने काफ्का रूफटॉप रेस्टोरेंट में शुक्रवार सुबह करीब पौने छह बजे आग लग गई। पलभर में आग ने रेस्टोरेंट के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। यहां रखे गैस सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली। दमकल मौके पर पहुंची, तब तक छत पर बने रेस्टोरेंट में जोरदार धमाका हुआ और आग का गोला आसमान में उड़ा। सवाई मानसिंह स्टेडियम और आस-पास के लोगों में दहशत हो गई। कुछ लोग रेस्टोरेंट में आग का वीडियो बना रहे थे, लेकिन अचानक धमाका होने से उनके हाथ से मोबाइल छूट गया।

हालांकि अपार्टमेंट में दफ्तर और दुकानें होने से घटना के समय अधिकांश लोग नहीं थे। धमाके से रेस्टोरेंट का काफी बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जगदीश फूलवारिया ने बताया कि रेस्टोरेंट के पास फायर की एनओसी नहीं थी। रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस दिया जाएगा। आग की सूचना पर चार दमकल मौके पर पहुंची, करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था।

चिंगारी से आग

शिवराज

सुनील

गार्ड शिवराज ने बताया, कि रेस्टोरेंट दोपहर 12 बजे खुलता है। रात को कर्मचारी निहाल, रामकल्याण के साथ रेस्टोरेंट के अंदर सो रहे थे। शुक्रवार सुबह करीब पौने छह बजे कुछ आवाज के साथ चिंगारियां निकलते देखी। स्टोर के पास बिजली के बॉक्स के पास से निकली चिंगारियां आग में बदल गई। करीब पन्द्रह मिनट बाद दमकल भी आ गई। तभी सिलेंडर फट गया। सुनील ने बताया हादसे की खबर मिलने पर वह साउंड सिस्टम संभालने आया है। उसने कहा कि हादसे से बड़ा नुकसान हो सकता था।

हर शाम 40 हजार लोगों की सुरक्षा दांव पर

शहर में रूफटॉप रेस्टोरेंट का अवैध संचालन रोकने में जिम्मेदार नाकाम हो रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। नगर निगम और जेडीए सीमा क्षेत्र में 200 से अधिक रूफटॉप रेस्टोरेंट अवैध तरीके से चल रहे हैं। एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में औसतन 200 व्यक्ति रोजाना पहुंचते हैं। यानी हर शाम 40 हजार लोगों की सुरक्षा दांव पर लग रही है। जेडीए ने अपने सीमा क्षेत्र के आधे हिस्से में सर्वे कराया है और नगर निगम अब सर्वे कराने का दावा कर रहा है। काफ्का रेस्टोरेंट नगर निगम मुख्यालय से यह महज 200 मीटर की दूर स्थित है।

नोटिस के बाद कार्रवाई का इंतजार

अगस्त में जेडीए ने जोन एक से आठ तक के रूफटॉप रेस्टोरेंट का सर्वे किया। इसमें शामिल 82 में से 67 रूफटॉप रेस्टोरेंट को नोटिस दिए गए लेकिन 43 का ही जवाब आया। इससे आगे के जोन का सर्वे पूरा होने को है।

खतरा इसलिए

शहर में चार से पांच मंजिल के बाद कई इमारतों में रूफटॉप रेस्टोरेंट हैं।

निर्माण में प्लास्टिक, लकड़ी का उपयोग होता है। गैस सिलेंडर भी रहते हैं।

50% से अधिक रूफटॉप रेस्टोरेंट और बार आवासीय कॉलोनियों में हैं।

हर जगह नियमों की अवहेलना

शहर में 95 फीसदी से अधिक रूफटॉप रेस्टोरेंट में फायर फाइटिंग सिस्टम, आपात निकासी और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है।

पत्रिका Sat, 21 September 2019
epaper.patrika.com/c/43837726

तीन दिन पहले अवैध थे रूफटॉप रेस्टोरेंट

अब वैध बताकर खोल दिए

जयपुर @ पत्रिका. नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। निगम ने जिन रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को तीन दिन पहले अवैध मानकर सीज कर दिया था, अब उन्हें खोलने की तैयारी हो गई है।

बीते तीन दिन में शहर में नगर निगम ने 10 से अधिक रूफटॉप रेस्टोरेंट को सीज किया, लेकिन गुरुवार को नगर निगम में ब्लैक आउट और क्लब रेजियो एस्टेरिया की सील खोलने की कार्रवाई पूरी हो गई। दिन भर नगर निगम में इन दोनों रूफटॉप रेस्टोरेंट के सील खोलने की चर्चा रही। इन दोनों की सील खुलवाने में शहर के दो विधायकों का हाथ माना जा रहा है। हालांकि इस पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है। इन्हें मंगलवार और बुधवार को ही सीज किया था। आयुक्त विजय पाल सिंह का कहना है कि इस रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालक के पास नगर निगम के खिलाफ कोर्ट का स्टे ऑर्डर था।

पत्रिका Fri, 15 November 2019
epaper.patrika.com/c/45758184

काफका और एस्टेरिया रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स का विवादों से पुराना नाता,किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं इन्हें बंद करने की

शहर में अवैध रूप से संचालित दो रूफ टॉप बार काफका और एस्टेरिया ने तो मानो सभी विभागों की नाक में दम कर रखा है,शायद ही साल का कोई महीना निकलता हो जब इन दोनों से जुड़े विवाद अखबारों की सुर्खियाँ नहीं बनी हो|इन दोनों को नगर निगम सील भी कर चुका है परन्तु अपने रसुखातों के चलते इन दोनों की सील महज एक दो दिन ही टिक पाती है और अधिकारीयों को मजबूरन इनकी सील खोलनी पड़ती है|

जिम्मेदार अधिकारी

क्रम संख्या	विभाग	पदनाम	नाम
1.	नगर निगम	आयुक्त	श्री विजय पाल सिंह
2.	अग्निशमन विभाग	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	श्री जगदीश फुलवारी
3.	आबकारी	जिला आबकारी	श्री सुनील भाटी
4.	पुलिस विभाग	पुलिस आयुक्त	श्री आनंद श्रीवास्तव